



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 05.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा अवैध गांजे के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से 02 किलो 50 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन ईगल” के क्रम में थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा अवैध सूखे गांजे के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 04.08.2026 की देर रात्रि थाना बिसण्डा पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रामदीन पुत्र छेदीलाल निवासी गड़ाव थाना बिसण्डा जनपद बांदा को बबेरु रोड शांति नगर पुलिसिया के पास से अवैध सूखे गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से कुल 02 किलो 50 ग्राम सूखा गांजा बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा बरामद अवैध सूखे गांजे को कब्जे में लेकर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

➤ 02 किलो 50 ग्राम अवैध सूखा गांजा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामदीन पुत्र छेदीलाल निवासी ग्राम गड़ाव थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

➤ मु0अ0सं0 374/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष बिसण्डा श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी
2. चौकी प्रभारी ओरन श्री बुद्धिसागर
3. कां0 विक्रम सिंह
4. कां0 भूपेन्द्र सिंह